डिस्क्लेमर

परामर्श पत्र संख्या 04/2026-27 के मुख पृष्ठ, हितधारकों की टिप्पणियाँ, हितधारकों से परामर्श के लिए प्रस्तुत प्राधिकरण के प्रस्तावों का सार और हितधारकों के परामर्श की समय-सीमा संबंधी अध्यायों (पृष्ठ 1,2,3, 143, 144, 145 और 146) का हिंदी अनुवाद संलग्न है। इस हिंदी पाठ के अंतर्गत दी गई किसी भी व्याख्या या अर्थ के संदर्भ में कोई भी भ्रांति या संदेह होने पर कृपया अंग्रेजी पाठ को ही प्रामाणिक माना जाए।

फा. सं. ऐरा/20010/एमवाईटीपी/ एएआई-श्रीनगर/सीपी-IV/2026-31

परामर्श पत्र संख्या 04/2026-27

सत्यमेव जयते

भारतीय विमानपत्त आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

श्रीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, श्रीनगर (एसएक्सआर) के लिए चतुर्थ नियंत्रण अवधि (01.04.2026 से 31.03.2031) के लिए वैमानिक टैरिफ निर्धारित करने के मामले में

जारी करने की तारीख : 02 सितम्बर, 2026

तृतीय तल,
उड़ान भवन,
सफदरजंग हवाईअड्डा
नई दिल्ली – 110003

हितधारकों की टिप्पणियां

शेख-उल-आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे ('श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा' या 'श्रीनगर हवाईअड्डा') को ऐरा अधिनियम, 2008 की धारा 2(i) के अंतर्गत 5 जून, 2015 के आदेश संख्या 17/2015-16 द्वारा "प्रमुख हवाईअड्डा" घोषित किया गया था। ऐरा (संशोधन) अधिनियम, 2019 लागू होने के बाद, जिसमें किसी हवाईअड्डे को 'प्रमुख हवाईअड्डा' मानने की सीमा को 1.5 एमपीपीए से बढ़ाकर 3.5 मिलियन यात्री प्रति वर्ष (एमपीपीएम) कर दिया गया था, श्रीनगर हवाईअड्डे का दर्जा बदलकर 'गैर-प्रमुख' हो गया है । इसके बाद, नागर विमानन मंत्रालय ने दिनांक 5 नवंबर, 2021 के राजपत्रित आदेश संख्या एस.ओ. 4606(ई) अधिसूचना के माध्यम से श्रीनगर हवाईअड्डे को 'प्रमुख हवाईअड्डा' के रूप में अधिसूचित किया। श्रीनगर हवाईअड्डे से वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान वस्तुत: 3.38 मिलियन यात्रियों का आवागमन हुआ (एएआई की वेबसाइट पर प्रकाशित डेटा के अनुसार) और हवाई यातायात में लगातार बढ़ोतरी देखी गई है, इससे भारत के नागर विमानन नेटवर्क में इसका कार्यनीतिक महत्व पुन: साबित होता है।

श्रीनगर हवाईअड्डे पर, भारतीय वायु सेना (आईएएफ) का हवाईअड्डे की प्रमुख अवसंरचना और सुविधाओं—जैसे रनवे, एयर ट्रैफ़िक कंट्रोल (एटीसी), फ़ायर स्टेशन आदि —का मालिकाना हक है और वायु सेना ही प्रचालन करती है। जबकि एएआई हवाईअड्डे के सिविलियन हिस्से (सिविल एन्क्लेव) का प्रचालन करता है और यात्री टर्मिनल भवन, सिविल एप्रन और उससे जुड़ी सुविधाओं के डिज़ाइन, विस्तार, विकास और रखरखाव की पूरी प्रशासनिक और प्रचालन संबंधी ज़िम्मेदारी उसी की होती है।

ऐरा अधिनियम, 2008 और ऐरा टैरिफ दिशा-निर्देश-2011 के प्रावधानों के अनुसार, एएआई ने श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे (सिविल एन्क्लेव) के संबंध में चतुर्थ नियंत्रण अवधि (वित्त वर्ष 2026-27 से वित्त वर्ष 2030-31) के लिए अपना बहु वर्षीय टैरिफ़ प्रस्ताव (एमवाईटीपी) प्राधिकरण को वैमानिक टैरिफ़ निर्धारित करने के लिए प्रस्तुत कर दिया है। एमवाईटीपी में निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2024-25 तक के लेखा- परीक्षा किए गए वित्तीय विवरण और वित्त वर्ष 2025-26 के लेखा परीक्षा न किए गए वास्तविक आंकड़ों के आधार पर तृतीय नियंत्रण अवधि का टू-अप;

(ii) चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए अनुमान, जो 1 अप्रैल 2026 से शुरू होकर 31 मार्च 2031 को समाप्त होगी।

इस प्रस्तुति में यातायात अनुमान, पूंजीगत खर्च (कैपेक्स), प्रचालन खर्च (ओपेक्स), गैर-वैमानिक राजस्व (एनएआर) और अन्य संबंधित पैरामीटरों के बारे में विस्तृत जानकारी शामिल है, जो चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए वैमानिक टैरिफ़ निर्धारित करने का आधार बनते हैं।

इस परामर्श पत्र को तैयार करते समय, प्राधिकरण ने एएआई द्वारा प्रस्तुत किए गए एमवाईटीपी की प्रस्तुतियों और उनसे संबंधित दस्तावेजों की अच्छी तरह से जांच की। इस मूल्यांकन में यह परामर्श-पत्र तैयार करने के उद्देश्य से, वित्त वर्ष 2024-25 तक की तृतीय नियंत्रण अवधि के लेखा परीक्षा किए गए वित्तीय विवरण और वित्तीय वर्ष 2025-26 के वास्तविक आंकड़ों (लेखा परीक्षा न किए गए) की जांच शामिल थी।

तदनुसार, प्राधिकरण ने श्रीनगर के शेख-उल-आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे के संबंध में चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करने के कार्य के भाग के रूप में अपने प्रस्ताव निर्धारित कर यह परामर्श पत्र जारी किया है। प्राधिकरण इस परामर्श पत्र में दिए गए प्रस्तावों पर हितधारकों से लिखित, साक्ष्य आधारित फीडबैक, टिप्पणियों और सुझावों पर विधिवत विचार करेगा तथा हितधारकों की प्रस्तुतियों की अच्छाइयों को ध्यान में रखकर वैमानिक सेवाओं के लिए टैरिफ निर्धारित करने के लिए उपयुक्त आदेश जारी करेगा।

प्राधिकरण इस बात पर ज़ोर देना चाहेगा कि परामर्श प्रक्रिया के लिए निर्धारित की गई समय-सीमा में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता और उसका सख्ती से पालन करना ज़रूरी है। इसलिए हितधारकों से अनुरोध है कि वे इस परामर्श -पत्र में बताई गई समय-सीमा के भीतर ही अपनी टिप्पणियां और इन-पुट दें। नियत समय-सीमा के बाद प्राप्त टिप्पणियों पर प्राधिकरण द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त यह ध्यान देना आवश्यक है कि ऐरा अधिनियम, 2008 की धारा 13(2) के संदर्भ में किसी नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ़ आदेश के अंतर्गत निर्धारित की गई टैरिफ़ की वर्तमान नियंत्रण अवधि के दौरान समीक्षा और उसमें परिवर्तन किया जा सकता है, यदि प्राधिकरण जनहित में और अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ऐसा करना आवश्यक समझे।

अत: ऐरा अधिनियम की धारा 13(4) के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 02 सितम्बर, 2026 के **परामर्श पत्र संख्या 04/2026-27** पर हितधारकों से लिखित टिप्पणियां, अधिमानत: इलैक्ट्रॉनिक रूप में, निम्नलिखित पते पर आमंत्रित की जाती है:

निदेशक (नीति एवं सांख्यिकी, टैरिफ)
भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (ऐरा)
तृतीय तल, उड़ान भवन, सफदरजंग हवाईअड्डा,
नई दिल्ली-110003, भारत

ई-मेल : director-ps@aera.gov.in; director-2@aera.gov.in satish.kr@aera.gov.in, lakshmi.2025@aera.gov.in.; vikas.rai@govcontractor.nic.in प्रति secretary@aera.gov.in,

हितधारक परामर्श बैठक	:	17 सितम्बर, 2026
टिप्पणियां प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख	:	01 अक्तूबर, 2026
जवाबी टिप्पणियां प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख	:	11 अक्तूबर, 2026

टिप्पणियां एवं जवाबी टिप्पणियां प्राधिकरण की वेबसाइट www.aera.gov.in पर डाली जाएंगी।

किसी भी स्पष्टीकरण/ जानकारी के लिए निदेशक (नीति एवं सांख्यिकी, टैरिफ) से दूरभाष संख्या +91-11-24695043 पर संपर्क कर सकते हैं।

अध्याय 2 : तृतीय नियंत्रण अवधि का ट्रूअप

2.10.1 तालिका 5 के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के यात्री एवं एटीएम को मानना।
2.10.2 तालिका 19 में दिए गए विवरण के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए पूंजीगत परिवर्धनों को मानना।
2.10.3 तालिका 24 में उल्लेख किए अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए वैमानिक मूल्यह्रास को मानना।
2.10.4 तालिका 27 के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए आरएबी को मानना।
2.10.5 तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए 12.89% प्रतिलाभ की उचित दर (एफआरओआर) को मानना।
2.10.6 तालिका 33 के विवरण के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के प्रचालन एवं अनुरक्षण खर्च को मानना।
2.10.7 तालिका 36 में दी गई प्रस्तुति के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के गैर-वैमानिक राजस्व को मानना।
2.10.8 तालिका 39 के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के वास्तविक वैमानिक राजस्व को मानना।
2.10.9 तालिका 42 में दिए गए विवरण के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के वैमानिक कराधान को मानना।
2.10.10 तालिका 45 में दिए गए विवरण के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के एआरआर और कम वसूली को मानना तथा इस कमी को चतुर्थ नियंत्रण अवधि में पुन: समायोजित करना।

अध्याय 3: तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए यातायात पूर्वानुमान

3.3.1 श्रीनगर हवाईअड्डे के लिए तालिका 49 के अनुसार चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए एटीएम और यात्री यातायात को मानना।
3.3.2 पंचम नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय चतुर्थ नियंत्रण अवधि के वास्तविक यातायात के आधार पर यातायात की मात्रा (एटीएम और यात्री) को ट्रूअप करना।

अध्याय 4: चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए पूंजीगत व्यय (कैपेक्स), मूल्यह्रास और विनियामक परिसंपत्ति आधार

4.10.1 तालिका 51 में दिए गए विवरण के अनुसार 01 अप्रैल, 2026 की परिसंपत्तियों के सकल ब्लॉक के वैमानिक और गैर वैमानिक परिसंपत्तियों के बीच आबंटन को मानना।
4.10.2 तालिका 62 के अनुसार चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए वैमानिक पूंजीगत व्यय के पूंजीकरण को मानना ।
4.10.3 पंचम नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय वास्तविक आंकड़ों के आधार पर, लागत कार्यक्षमता और औचित्य की शर्त पर वैमानिक व्यय को ट्रू-अप करना।
4.10.4 कोई विशिष्ट पूंजीगत परियोजना पूंजीकरण की अनुमोदित समय-सारणी के अनुसार पूर्ण/पूंजीकृत न होने की स्थिति में एआरआर से परियोजना लागत की 1% राशि कम (समायोजित) करना। इसके अतिरिक्त यदि परियोजना पूर्ण होने में विलंब एएआई या इसकी संविदाकारी एजेंसी के नियंत्रण से बाहर के किसी कारण की वजह से होता है और इसे ठीक ढंग से औचित्यपूर्ण बताया जाता है तो पंचम नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय वास्तविक लागत को ट्रू-अप करने के दौरान प्राधिकरण द्वारा इसे मान लिया जाएगा। ।
4.10.5 तालिका 65 के अनुसार चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए मूल्यह्रास को मानना।
4.10.6 पंचम नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करने के दौरान वास्तविक परिसंपत्ति परिवर्धनों और पूंजीकरण की वास्तविक तारीख के आधार पर चतुर्थ नियंत्रण अवधि के मूल्यह्रास को ट्रू-अप करना।
4.10.7 श्रीनगर हवाईअड्डे के लिए तालिका 67 के अनुसार चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए औसत आरएबी को मानना।
4.10.8 पंचम नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय वास्तविक आंकड़ों के आधार पर आरएबी को ट्रू-अप करना।

अध्याय 5 : चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए प्रतिलाभ की उचित दर

5.3.1 श्रीनगर हवाईअड्डे के लिए तालिका 68 के अनुसार चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए 12.07% के एफआरओआर को मानना।

5.3.2 पंचम नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय वास्तविक आंकड़ों (या) भारतीय स्टेट बैंक के औसतन एक (1) वर्ष के एमसीएलआर + 100 बीपीएस (जो भी कम हो) के आधार पर चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए ऋण की लागत को टू-अप करना।

अध्याय 6 : चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए मुद्रा-स्फीति

6.3.1 श्रीनगर हवाईअड्डे के लिए तालिका 76 में दिए गए विवरण के अनुसार चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए मुद्रा-स्फीति को मानना।

अध्याय 7: चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए वैमानिक प्रचालन एवं अनुरक्षण खर्च

7.3.1 श्रीनगर हवाईअड्डे के लिए तालिका 76 के अनुसार चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए प्रचालन एवं अनुरक्षण खर्च को मानना।

7.3.2 पचंम नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय एएआई द्वारा श्रीनगर हवाईअड्डे के लिए चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए वहन किए गए वैमानिक प्रचालन एवं अनुरक्षण खर्च को मानना।

अध्याय 8: चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए गैर-वैमानिक राजस्व

8.3.1 श्रीनगर हवाईअड्डे के लिए तालिका 80 के अनुसार चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए गैर-वैमानिक राजस्व को मानना।

8.3.2 तालिका 80 में प्राधिकरण द्वारा प्रस्ताव किए अनुसार अगली नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए न्यूनतम सीमा तक गैर-वैमानिक राजस्व को मानना।

अध्याय 9 : चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए वैमानिक कर

9.3.1 श्रीनगर हवाईअड्डे के लिए तालिका 82 के अनुसार चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए कराधान को मानना।

9.3.2 पंचम नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय सभी संगत तथ्यों को ध्यान में रखकर चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए वैमानिक कर राशि को टू-अप करना।

अध्याय 10: चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए सेवा की गुणवत्ता

10.3.1 चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारण के लिए सेवा की गुणवत्ता के संबंध में कोई भी समायोजन न मानना।

अध्याय 11 : चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए कुल राजस्व अपेक्षा (एआरआर)

11.5.1 तालिका 88 के अनुसार चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए बेसलाइन एआरआर और मुनाफे को मानना।

11.5.2 तालिका 87 के अनुसार वृद्धिशील एआरआर और वाईपीपी को मानना।

11.5.3 एएआई को निर्देश देना कि वे इस परामर्श पत्र के जारी होने के 7 दिन के भीतर वार्षिक टैरिफ प्रस्ताव (टैरिफ दर कार्ड) प्रस्तुत करें, जिसे हितधारकों के साथ परामर्श के लिए पेश किया जाएगा।

13 हितधारकों से परामर्श की समय-सीमा

13.1 ऐरा अधिनियम, 2008 की धारा 13(4) के प्रावधान के अनुसार इस परामर्श पत्र के अन्य अध्यायों की संगत चर्चा के साथ पठित अध्याय 12–प्राधिकरण के प्रस्तावों का सार में निहित प्रस्ताव एतद्द्वारा हितधारकों के परामर्श के लिए प्रस्तुत है।

13.2 संदेह दूर करने के लिए स्पष्ट किया जाता है कि इस परामर्श पत्र की विषय-वस्तु का प्राधिकरण द्वारा जारी किसी आदेश या निदेश की तरह अर्थ न लगाया जाए। प्राधिकरण इस मामले के जवाब में हितधारकों की प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद और अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार टैरिफ आदेश में पूर्ण रूप से लिखित रूप में प्रमाणित और स्पष्ट निर्णय करने के बाद ही इस मामले में आदेश जारी करेगा।

13.3 प्राधिकरण इस परामर्श पत्र में दिए गए प्रस्तावों पर हितधारकों के लिखित साक्ष्य-आधारित फीडबैक, टिप्पणियों और सुझावों का स्वागत करता है, जिन्हें अधिक से अधिक 01 अक्तूबर, 2026 तक भेज दिया जाए।

सचिव,
भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण
तृतीय तल, **उड़ान भवन**, **सफदरजंग हवाईअड्डा**,
नई दिल्ली –110003.

(अध्यक्ष)